HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 730/2021

Smt. Batti Devi W/o Shri Shivsingh, Aged About 51 Years, R/o Village Bhutoli, Police Station Halaina, District Bharatpur, Presently R/o House Of Rajaram, Opposite D.T. Office, Bharatpur.

----Claimant/Appellant

Versus

1. Devendra Sharma S/o Shri Pura Singh Sharma, R/o 43/458, Purani Abadi, Sikandara, Police Station Sikandara, District Agra, U.P. (Owner Of Innova No. UP-80-CT-6942)
2. Ramdayal S/o Shri Ramsingh, R/o Nagla Nathu Baipura, Police Station Sikandara, District Agra, U.P. (Owner Of Innova No. UP-80-CT-6942)
3. Iffco Tokio General Insurance Company Ltd., Iffco Tower 4 And 5th Floor, Plot No. 3, Sector No. 29, Gurgaon, Haryana Through Manager (Insurance Company Of Innova No. UP-80-CT-6942)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Navankur Dubey, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vimal Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

04/05/2026

1. अपीलार्थिया की ओर प्रस्तुत यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भरतपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–1673/2016, श्रीमती बत्ती देवी बनाम देवेन्द्र शर्मा व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 23.10.2020** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया श्रीमती बत्ती देवी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 1,03,618/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया की कोई आय निर्धारित नहीं कर अपीलार्थिया के पक्ष में एकमुश्त 1,03,618/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में, यातायात व परिवहन की मद में व पौष्टिक आहार की मद में कोई राशि अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 09.07.2016 की बताई गयी है तथा हस्तगत मामले की घटना में अपीलार्थिया के शरीर पर साधारण चोटें कारित होना बताया गया है, किन्तु अपीलार्थिया की

ओर से उसके शरीर पर कारित हुई स्थायी निर्योग्यता के संबंध में कोई स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।

7. अपीलार्थिया के शरीर पर पांच साधारण चोटे कारित होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पांच साधारण चोटों की मद में प्रति चोट 1,000/– रुपये की दर से कुल 5,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम प्रतीत होती है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं।

8. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थिया को कारित हुई पांच साधारण चोटों की मद में प्रति चोट 2,500/– रुपये के दर से कुल 12,500/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझता हैं।

9. विद्वान अधिकरण अपीलार्थिया को उसके इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में कुल 95,618/– रुपये की राशि मेडिकल बिलों की मद में तथा छः दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 3,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, इनमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार की मद में व यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अस्पताल आना–जाना पड़ा होगा। अतः पौष्टिक आहार की मद में हम, 5,000/– रुपये तथा यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में 5,000/– रुपये की राशि अपीलार्थिया को पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में हम, 5,000/– रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है :–

क्रम संख्या	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)**
1.	05 साधारण चोटों की मद में	12,500/–
2.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	95,618/–
3.	छः दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	3,000/–
4.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/–
5.	यातायात व परिवहन पर व्यय हुई राशि के मद में	5,000/–
6.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	5,000/–
	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	**1,26,118/–**
	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)	1,03,618/–
	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	**22,500/–**

13. तदनुसार अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **1,03,618/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **1,26,118/– रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी।

14. इस निर्णय द्वारा निर्धारित की गयी क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होगी।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /20